संख्या-27/2017/2163/86-2017-201/2014टीसी

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 11 सितम्बर, 2017

विषयः-उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) को सड़क निर्माण के लिये बालू, मौरम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खनन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1109/एम-21ए-पूर्वान्चल एक्स0/2017, दिनांक 28.08.2017 एवं पत्र संख्या-1117/एम-21एन0एच0ए0आई0-2/2017, दिनांक 29.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0 ए0आई0) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बालू, मौरम के खनन क्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) प्राधिकरण के पक्ष में खनन पट्टा निष्पादित किया जायेगा तथा उसका संचालन उनके द्वारा स्वयं किया जायेगा। खनन पट्टा किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

(2) खनन पट्टा अनुमोदित खनन योजना एवं आवश्यकतानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त निष्पादित किया जायेगा। खनन योजना तैयार करने एवं आवश्यकतानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व पट्टाधारक का होगा।

(3) खनन क्षेत्रों से खनिजों की निकासी तथा परिवहन मार्ग के निर्माण का दायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) पट्टांतरित भूमि से निकाले गये खनिज को किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

(5) प्रत्येक खनन पट्टे के सापेक्ष पट्टा वर्ष में रायल्टी के दोगुने की दर पर देय धनराशि का भुगतान उक्त संदर्भित नियमावली के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त नियमावली, 1963 के नियम-70 के अधीन उपखनिजों के पारेषण (कन्साइनमेंट) हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा ई-प्रपत्र एम0एम0-11 में पास जारी किया जायेगा।

(7) नदी तल में अधिकतम 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर जो भी पहले हो तक की खनन कार्य किया जायेगा तथा बालू/मौरम की निकासी में सक्शन मशीन/लिफ्टर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(8) खनन योजना और यथास्थिति पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार ही खनन कार्य किया जायेगा।

(9) पट्टाधारक द्वारा नियमानुसार देय आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज विकास निधि, जी0एस0टी0 आदि देय धनराशि नियमानुसार जमा कराना होगा।

(10) खनन पट्टे की अन्य शर्ते नियमावली,1963 एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार होगी।

(11) स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है तो वह भी क्षेत्र के खनन पट्टे पर प्रभावी होगी।

2. मुझे यह भी कहना है कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (43वां संशोधन) के नियम-68'क' ''खानों को आरक्षित करने की राज्य सरकार की शक्ति'' के अन्तर्गत भविष्य में किसी सरकारी संगठन को खनन संक्रिया हेतु किसी खनन क्षेत्र को आरक्षित करने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. कृपया उक्तानुसार खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्या-2163(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (तक0) सह क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय-3/248 विशाल नगर, गोमती नगर, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-2163(2)/86-2017-201/2014टीसी, दिनांक का संलग्नक

उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0)	क्षेत्र में आकलित मात्रा (घन मी0 प्रतिवर्ष)	अवधि जिसके लिये खनन क्षेत्र आरक्षित किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सहजना	17/1	12.145	145740	01 वर्ष
2	कौशाम्बी	चायल	नन्दा का पुरवा	9/18 से 9/19	24.28	360000	01 वर्ष
3	सोनभद्र	दुद्धी	बोधाडीह	1	6.07	121500	02 वर्ष

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0)	क्षेत्र में आकलित मात्रा (घन मी0 प्रतिवर्ष)	अवधि जिसके लिये खनन क्षेत्र आरक्षित किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बांदा	पैलानी	सदीममदनापुर	50 का भाग, 51	42.49	8,48,800	02 वर्ष
2	हमीरपुर	हमीरपुर	कलौलीतीर	16/1	16.194	1,94,328	02 वर्ष
3	सोनभद्र	रावर्टसगंज	खैबन्धा	246, 472	14.57	2,91,500	02 वर्ष